राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं./2017/e-73473/171 दिनांक: 12/02/2018

परिपत्र

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अनुसार "राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक है, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा एवं अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पक्षकारों के माता-पिता या यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन पश्चात नियमानुसार उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिससे क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनो पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है।

यद्यपि धारा 3 विशेष रूप से राजस्थान में अनुष्ठापित होने वाले विवाहों के लिए है किन्तु अधिनियम की धारा 8 में यह भी प्रावधान किया गया है कि विवाह के पक्षकारों द्वारा विवाह पंजीयन हेतु उस रजिस्ट्रार को भी विवाह के लिए नियमानुसार ज्ञापन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में वर/वधू निवास करते है।

राज्य के आमजन को राज्य/देश से बाहर अनुष्ठापित किये गये विवाहों के पंजीकरण को अधिक सरल एवं जनसाधारण के लिए सुगम बनाये जाने तथा नव वर-वधू को विवाह पंजीयन के संदर्भ में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता क्षेत्र में अधिनियम की धारा 3 के साथ सपठित धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित विवाहों का पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप सम्पादित करेगा:-

1. भारत के नागरिकों का राजस्थान राज्य में अनुष्ठापित विवाह
2. भारत के नागरिकों के बीच अन्य राज्यों में अथवा भारत के बाहर अनुष्ठापित विवाह, जिसमें कोई एक अथवा दोनों पक्ष राजस्थान का निवासी हो।

अत: राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन का कार्य सम्पादित करतें हुए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

-ह0-
(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव